

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- नर्सिंग / फार्मासिस्ट / बी-42 / 2019 / दिनांक:

:-आदेश:-

श्री भूपेन्द्र सिंह नाथावत, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), अधीक्षक, एस.आर.जी चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ का दिनांक 14.08.2017 से 26.09.2017 तक 44 दिवस एवं दिनांक 04.10.2017 से 17.10.2017 तक 14 दिवस कुल 58 दिवस (44 + 14) का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 एवं दिनांक 07.08.2014 समसंख्यक आदेश 22.05.2009 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक 28 दिवस के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक: 23-07-2019

क्रमांक:- नर्सिंग / फार्मासिस्ट / बी-42 / 2019 / 287

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, एस.आर.जी. चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ के पत्र क्रमांक 184 दिनांक 15.04.2019 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवकाश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. आदेश / निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर